न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 162/2014

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा।
3. छोटूराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा।
4. सावित्री पत्नी नन्दराम जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा।
5. भजनलाल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा।
6. सुमन पुत्री नन्दराम जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा।
7. श्रीराम पुत्र श्री नारायण जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा–फौत

   7/1. रणसिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर–फौत

   7/2. लिलावती पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर हाल आबाद लूदेसर तहसील जिला सिरसा।

   7/3. रोशनी पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर हाल आबाद लूदेसर तहसील जिला सिरसा।

   7/4. सन्तोष पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर हाल आबाद लूदेसर तहसील जिला सिरसा।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र रिखाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
2. हुणताराम पुत्र रिखाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
3. सरबती पत्नी रिखाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
4. सुमन पत्नी दलिप जाति जाट निवसी ढाणी लाल खां तहसील नोंहर।
5. नवीन पुत्र दलिप जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
6. हरदीप पुत्र दलिप जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
7. गुडडी पुत्री रिखाराम पत्नी अमरसिंह पुत्र श्री सुखराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी।
8. मनीदेवी पुत्री रिखाराम पत्नी लेखराम पुत्र सी सुखराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
9. चिमनाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
10. बलवीर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर–फौत

    10/1. कविता पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।

    10/2. सुमन पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
11. महेन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
12. मेसर पत्नी रूघवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
13. भालाराम पुत्र रूघवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
14. हनुमान पुत्र रूघवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
15. राजू पुत्र रूघवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0 मेसर पत्नी रूघवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
16. केलाश पुत्र रूघवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0 मेसर पत्नी रूघवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
17. महेन्द्र पुत्र श्री मूला को[illegible] लालखां तहसील नोहर।
18. कृष्ण कुमार पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
19. राकेश कुमार पि0 मु0 बलवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
20. लिलूराम पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
21. रामस्वरूप पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर–फौत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

21/1. सावित्री पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
21/2. राजेश पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
21/3. कमला पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
21/4. कान्ता पुत्री रामस्वरूप जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
22. ओमप्रकाश पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणाी लालखां तहसील नोहर।
23. भगतुराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणाी लालखां तहसील नोहर।
24. बिमला पत्नी मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणाी लालखां तहसील नोहर।
25. भरतसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणाी लालखां तहसील नोहर।
26. मुकेश पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
27. संजीव पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणाी लालखां तहसील नोहर।
28. चन्द्रकला पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणाी लालखां तहसील नोहर।
29. माधाराम पुत्र हरि राम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर–फौत
29/1. राजेन्द्र पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
29/2. सुरेन्द्र पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
29/3. सुभाष पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
29/4. सावित्री पुत्री मघाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
29/5. सन्तवन्ती पुत्री मघाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
30. सरजीत पुत्र बिदामी पत्नी उदमीराम कस्वा रूपाण तहसील जिला सिरसा।
31. लिली पत्नी रामेश्वर पुत्र सुरजाराम माचरा बन मन्दोरी तह0 फतेहबाद हरि0।
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
33. रामकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
34. शक्तीसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी चिड़िया गान्धी तहसील भादरा।
35. रोहताष पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
36. कुसुम चौधरी पुत्री सरजीत सिंह जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
37. मीरा पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
38. सन्तोष पुत्री प्रवीण जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

39. सुखमादेवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
40. बंशीलाल पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट निवासी लूदेशर जिला सिरसा।
41. मोहनलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा।
42. निगधारी पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हरिसिंह सिहाग अधिवक्ता **वादी**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रतिवादीगण स0 34, 35**

निर्णय दिनांकः 16/01/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के दादा, परदादा नारायण पुत्र खेमा जाति जाट निवासी किंकराली की वाके रोही मौजाा किंकराली के साबिका ख0न0 1 में 60 बीघा भूमि सम्वत 2012 से पूर्व से ही कब्जा काश्त की भूमि थी जो राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के लागु होने से के समय से ही उनके कब्जा काश्त में होने के कारण नामान्तरण संख्या 61 से उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी थी तथा यह भूमि सम्वत 2012 से [illegible] हो चुकी थी तथा उक्त भूमि सम्वत 2012 से लेकर आज तक नारायण [illegible] कब्जा काश्त में चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Gahwal
Date: 2025.01.23 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

बन्दोबस्त विभाग द्वारा मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 ता 38 तैयार करते समय वादीगणों की इस साबिका ख0न0 1 की 60 बीघा भूमि के नये खसरा न0 71/2 बनाकर 11.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5080 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी तथा शेष 12 बीघा भूमि नये ख0न0 73 से मिलाकर प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दी गई। प्रतिवादीगण के नाम साबिका ख0न0 1 की 22 बीघा भूमि 10 बिस्वा ही भूमि थी जो सैलमेन्ट विभाग द्वारा बढ़ा कर 35 बिघा 10 बिस्वा दर्ज कर दी गई इस प्रकार से वादीगण की 12 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम गलत तौर से दर्ज की गई है। प्रतिवादीगण के नाम उक्त भूमि में से 12 बीघा भूमि सैटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश व बिना किसी आधार के दर्ज की गई है जबकि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है इसलि वादीगण राजस्व रिकार्ड जमांबंदी को दुरूस्त करवाकर हाल ।0न0 73 के पूर्व की तरफ की 12 बीघा भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की 12 बीघा भूमि उनके नाम कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा लेवे तो तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 34 व 35 की तरफ से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर जोशी ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादीगण संख्या 34 व 35 ने जवाब दावा पेश किया की वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम सही तौर से दर्ज हुई है व वाद भूमि पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा है वादी प्रतिवादीगण के हिस्सा में से उक्त भूमि कम करवा पाने के अधिकारी नही है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 34 व 35 द्वारा राजीनामा पेश किया गया की रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के ख0न0 73 की 35 बीघा 10 बिस्वा भूमि यानि 9.0420 हैक्ट भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा यानि 3.16254 हैक्ट पूर्वी की तरफ की भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावे तो हम प्रतिवादी प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है हम प्रतिवादीगण की खरीद शुदा ख0न0 73 73 की 1.808 हैक्ट भूमि हम प्रतिवादीगणं के नाम यथावत रखी जावे। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण का राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया व वाद के समर्थन में वादीगण ने बतौर दस्तावेज साक्ष्य नकल जमाबंदी सम्वत 2069–72 ईएक्सपी–1, नक्शा वाके रोही मौजा किंकराली ख0न0 71 व 73 ईएक्सपी–2, नकल जमाबंदी सम्वत 2012–15 रोही मौजा किंकराली ईएक्सपी–3, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2016–20 ईएक्सपी–4, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2020–23 ईएक्सपी–5, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2024–28 ईएक्सपी–6, नकल जमाबंदी सम्वत 2011–14 ईएक्सपी–7, नकल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029–38 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी मिसल बन्दोबस्त 2029–38 ईएक्सपी–9, नकल मिलान क्षेत्रफल रोही मौजा किंकराली साबिका खसरा न0 1 ईएक्सपी 10, नकल जमाबंदी सत्वत 2069–72 ईक्सपी 11, नकल बैयनामा दिनांक 04.07.23 ईएक्सपी–12, नकल बैयनामा दिनांक 13.02.23 ईएक्सपी–13,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

नकल बैयनामा दिनांक 21.03.23 ईएक्सपी–14, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2012–15 ईएक्सपी–15, नकल जमाबंदी सम्वत 2014–18 ईएक्सपी–16, नकल मिलान क्षेत्रफल ईएक्सी–17, नकल जमांबंदी सम्वत 2011–14 ईएक्सपी–18, नकल मिसल बन्दोबस्त ईएक्सपी–19, नकल मिसल बंदोबस्त सवंत 2029–38 ईएक्सपी–20, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2020–23 ईएक्सपी–21, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2028–30 ईएक्सपी–22, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2024–28 ईएक्सपी–23, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2015–19 ईएक्सपी–24 व फोटोप्रति बैयनाया दिनांक 05.09.2023 पेश किये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 34 व 35 ने निवेदन किया की रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के ख0न0 73 की 35 बीघा 10 बिस्वा भूमि यानि 9.0420 हैक्ट भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा यानि 3.16254 हैक्ट पूर्वी की तरफ की भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावे तो हम प्रतिवादी प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है हम प्रतिवादीगण की खरीद शुदा ख0न0 73 73 की 1.808 हैक्ट भूमि हम प्रतिवादीगण के नाम यथावत रखी जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा किकराली तहसील नोहर के खसरा न0 73 की कुल 9.0420 हैक्ट भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के ख0न0 73 की 35 बीघा 10 बिस्वा भूमि यानि 9.0420 हैक्ट भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा यानि 3.16254 हैक्ट पूर्वी की तरफ की भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावे तो हम प्रतिवादी प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है हम प्रतिवादीगण की खरीद शुदा ख0न0 73 73 की 1.808 हैक्ट भूमि हम प्रतिवादीगण के नाम यथावत रखी जावे। वादीगण कथन है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 ता 38 तैयार करते समय वादीगणों की इस साबिका ख0न0 1 की 60 बीघा भूमि के नये खसरा न0 71/2 बनाकर 11.5080 हैक्ट भूमि वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी तथा शेष 12 बीघा भूमि नये ख0न0 73 से मिलाकर प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्ज कर दी गई। प्रतिवादीगण के नाम साबिका ख0न0 1 की 22 बीघा भूमि 10 बिस्वा ही भूमि थी जो सैलमेन्ट विभाग द्वारा बढ़ा कर 35 बिघा 10 बिस्वा दर्ज कर दी गई इस प्रकार से वादीगण की 12 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के नाम गलत तौर से दर्ज की गई है वादीगण के [illegible] वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा ईएक्सपी 1 ता 25 से स्पष्ट साबित [illegible] 35 द्वारा भी वादीगण के कथनों को स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीगण स[illegible] सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 34 व 35 के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के ख0न0 73 की 35 बीघा 10 बिस्वा भूमि यानि 9.0420 हैक्ट भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा यानि 3.16254 हैक्ट पूर्वी की तरफ की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 7, 8, 10/1, 17, 33 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को 383–1/3 हिस्सा भूमि का व वादीगण संख्या 4 ता 6 व तरतीबी प्रतिवादी 40 को 383–1/3 हिस्सा व वादीगण संख्या 7/2 ता 7/4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 41 व 42 को 203–1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 162 / 2014

अनवान : –

1. अमरसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा।
3. छोटूराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा।
4. सावित्री पत्नी नन्दराम जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा।
5. भजनलाल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा।
6. सुमन पुत्री नन्दराम जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा।
7. श्रीराम पुत्र श्री नारायण जाति जाट साकिन किंकराली हाल आबाद लूदेशर जिला सिरसा–फौत

   7/1. रणसिंह पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर–फौत

   7/2. लिलावती पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर हाल आबाद लूदेसर तहसील जिला सिरसा।

   7/3. रोशनी पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर हाल आबाद लूदेसर तहसील जिला सिरसा।

   7/4. सन्तोष पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन किंकराली तहसील नोहर हाल आबाद लूदेसर तहसील जिला सिरसा।

– वादी

बनाम्

1. जगदीश पुत्र रिखाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
2. हुणताराम पुत्र रिखाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
3. सरबती पत्नी रिखाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
4. सुमन पत्नी दलिप जाति जाट निवसी ढाणी लाल खां तहसील नोंहर।
5. नवीन पुत्र दलिप जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
6. हरदीप पुत्र दलिप जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
7. गुडडी पुत्री रिखाराम पत्नी अमरसिंह पुत्र श्री सुखराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी।
8. मनीदेवी पुत्री रिखाराम पत्नी लेखराम पुत्र सी सुखराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
9. चिमनाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
10. बलवीर पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर–फौत

    10/1. कविता पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।

    10/2. सुमन पुत्री बलवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
11. महेन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
12. मेसर पत्नी रूघवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
13. भालाराम पुत्र रूघवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
14. हनुमान पुत्र रूघवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
15. राजू पुत्र रूघवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0 मेसर पत्नी रूघवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
16. केलाश पुत्र रूघवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0 मेसर पत्नी रूघवीर जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
17. महेन्द्र पुत्र श्री मूला कोम जाट निवासी ढाणाी लालखां तहसील नोहर।
18. कृष्ण कुमार पुत्र जयसिह जाति जाट निवासी ढाणाी लालखां तहसील नोहर।
19. राकेश कुमार पि0 मु0 बलवीर जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
20. लिलूराम पुत्र जयसिंह जाति जाट निवासी ढाणाी लालखां तहसील नोहर।
21. रामस्वरूप पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणाी लालखां तहसील नोहर–फौत

    21/1. सावित्री पत्नी रा[illegible] ढाणी लाल खां तहसील नोहर।

    21/2. राजेश पुत्र रामस्वरूप जाति जा[illegible] ढाणी लाल खां तहसील नोहर।

    21/3. कमला पुत्री राम[illegible] लाल खां तहसील नोहर।

    21/4. कान्ता पुत्री रामस्वरूप [illegible] ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
22. ओमप्रकाश पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी [illegible]णी लालखां तहसील नोहर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

23. भगतुराम पुत्र जोतराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
24. बिमला पत्नी मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
25. भरतसिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
26. मुकेश पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
27. संजीव पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
28. चन्द्रकला पुत्री मोहरसिंह जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
29. माधाराम पुत्र हरि राम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर–फौत
   29/1. राजेन्द्र पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
   29/2. सुरेन्द्र पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
   29/3. सुभाष पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
   29/4. सावित्री पुत्री मघाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
   29/5. सन्तवन्ती पुत्री मघाराम जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
30. सरजीत पुत्र बिदामी पत्नी उदमीराम कस्वा रूपाण तहसील जिला सिरसा।
31. लिली पत्नी रामेश्वर पुत्र सुरजाराम माचरा बन मन्दोरी तह0 फतेहबाद हरि0।
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
33. रामकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
34. शक्तीसिह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी चिड़िया गान्धी तहसील भादरा।
35. रोहताष पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी किंकराली तहसील नोहर।
36. कुसुम चौधरी पुत्री सरजीत सिंह जाति जाट निवासी लाखासर तहसील नोहर।
37. मीरा पत्नी कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।
38. सन्तोष पुत्री प्रवीण जाति जाट निवासी ढाणी लाल खां तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

39. सुखमादेवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।
40. बंशीलाल पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट निवासी लूदेशर जिला सिरसा।
41. मोहनलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा।
42. निगधारी पुत्री श्रीराम जाति जाट निवासी लुदेसर तहसील व जिला सिरसा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 162 सन 2014 निर्णय दिनांक -16/01/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री हरिसिंह सिहाग एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा किंकराली तहसील नोहर के ख0न0 73 की 35 बीघा 10 बिस्वा भूमि यानि 9.0420 हैक्ट भूमि में से 12 बीघा 10 बिस्वा यानि 3.16254 हैक्ट पूर्वी की तरफ की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 7, 8, 10/1, 17, 33 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 3 को 383–1/3 हिस्सा भूमि का व वादीगण संख्या 4 ता 6 व तरतीबी प्रतिवादी 40 को 383–1/3 हिस्सा व वादीगण संख्या 7/2 ता 7/4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 41 व 42 को 203–1/3 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि यथावत रहेगी। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/01/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.01.23 14:35:56 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर